# न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रार्थना–पत्र सं0 : 17 सन 2024
अनवान :–

1. राजकुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।

–प्रार्थी

**बनाम**

1. नत्थुराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर
2. भगवानाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर
3. मांगीलाल पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर
4. मानाराम पुत्र सुरजाराम, जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–असल गैरसायल

6. गिता पत्नी रघुवीर सिंह जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादर
7. विमला देवी पत्नी राजकुमार जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा

–तरतीवी गैरसायलान।

प्रार्थना–पत्र धारा 128 व 131 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता गैरसायलान

**निर्णय दिनांक :–** 16/12/25

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया है की रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 20/125 के खसरा नं. 256/3 की 5.4120 है० भूमि सायल व तरतीवी गैरसायलान संख्या 6 ता 7 की मुश्तरका खाता की भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070 2073 के खाता संख्या 403/415 के खसरा नं. 256/5 की कुल 8.5990 है० भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 4 की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

खसरा नं. 256/3 व खसरा नं. 256/5 की भूमि आपस में चिपती हई भूमि है तथा गैरसायल संख्या 1 ता 4 सायल के पडोसी काश्तकार है जिन्होने पिछले 3–4 वर्षों से सायल व तरतीवी गैरसायलान संख्या 6 ता 7 की 3 बीघा भूमि काश्त करते चले आ रहे है। श्रीमान् तहसीलदार (भू.अ.) नोहर तहसील नोहर के आदेश क्रमांक/भू अ./3067/दिनांक 07.06.2024 की अनुपालना में हल्का पटवारी द्वारा ग्राम भूकरका के खसरा नं. 256/3 में मौके पर पहुँच कर मोतबिरानों के समक्ष दिनांक 10.06.2024 को जरीब से सींमाकन किया गया। सींमाकन में पटवारी हल्का ने पाया कि खसरा नं. 256/3 के पश्चिम दिशा में स्थित खसरा नं. 256/5 के काश्तकारों द्वारा खसरा नं. 256/3 की भूमि के कुछ हिस्से पर काश्त की जा रही है। नकल फर्द मौका व नक्शा संलग्न दरख्वास्त है। सायल व तरतीवी गैरसायलान 6 ता 7 अपनी भूमि के पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थर गढ़ी कायम) करवाना चाहते है तथा गैरसायल संख्या 1 ता 4 जो कि सायल की 3 बीघा भूमि को पिछले 3–4 वर्षों से कोरोना काल से काश्त करते आ रहे है इसलिए सायल व तरतीवी गैरसायलान संख्या 6 ता 7 लगान व 15 ... मुआवजा गैरसायलान से प्राप्त करने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

सायल ने गैरसायल संख्या 5 को कई बार निवेदन किया ... सायल व तरतीवी गैरसायला संख्या 6 ता 7 की भूमि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 20/125 के खसरा नं. 256/3 की 5.4120 है० भूमि की पैमाईश

Rahul

करवाकर पुख्ता पत्थर गढ़ी कायम कर देवे व सायल व तरतीवी गैरसायलान संख्या 6 ता 7 की भूमि का कब्जा दिलवाया जावे तो गैरसायल संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल आजकल करता रहा आखिरकार तहसील परिसर नोहर में साफ इन्कार हो गये। इसलिए यह प्रार्थन पत्र पेश किया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि सायल व तरतीवी गैरसायला संख्या 6 हा 7 की भूमि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 20/125 के खसरा नं. 256/3 की 5.4120 है० भूमि की पैमाईश करवाकर पुख्ता पत्थर गढ़ी कायम की जावे तथा पिछले 3–4 वर्षों से कोरोना काल से काश्त करते गैरसायललान सायल व तरतीवी गैरसायलान संख्या 6 ता 7 की 3 बीघा भूमि काश्त करते आ रहे है इसलिए गैरसायलान संख्या 1 ता 4 से लगान का 15 गुणा मुआवजा सायल व तरतीवी गैरसायलान को दिलवाने के आदेश फरमावे व भूमि का कब्जा दिलवाया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी स0 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र मय काउंटन प्राथना पत्र इस आशय का पेश किया की गैरसायालन की 3 बीघा भूमि नाजायज तौर से काश्त नही कर रखी है। बल्कि गैरसायलान स्वंय कम भूमि काश्त करते है एवं गैरसायलान की स्वंय की कृषि भूमि खरीद शुदा भूमि है एवं गैरसायलान द्वारा प्रार्थी की भूमि काश्त नहीं की गई है। सायल व गैरसायलान की सही पैमाईश नही गई मौका पर पक्षकारों की उपस्थिति में सही सीमा ज्ञान करवाया जाना आवश्यक है क्योंकि सायल व तरतीबी गैरसायलान अपने नाजायज अतिक्रमण को छुलाकर गैरसायलान जो छोटे काश्तकार किसान है कि कृषि भूमि को हड़प लिए यह आधारहीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। गैरसायलान उत्तरदाता की कृषि भूमि कम है उसकी पुरी करने हेतु पुनः पैमाईश कि जावे क्योंकि सायल अपने अतिक्रमण छुपाकर साजिसाना रूप से राजस्व कर्मचारियों से मिलकर करवाई है। इसलिए सही जॉच किये बगैर पत्थरगढी करवाने का सायल अधिकारी नही है।

गैरसायलान उतरदाता की स्वंय खरीद शुदा भूमि है एवं गैरसायलान कृषि भूमि को पुरी करते हुऐ पुनः पैमाईश कि जावे क्योंकि सायल अपने अतिक्रमण छुपाकर साजिसाना रूप से राजस्व कर्मचारियों से मिलकर करवाई है इसलिए सही जाँच किये बगैर पत्थर गढ़ी करवाने का सायल अधिकारी नही है। सायल ने गैरसायलान उतरदाता की कृषि भूमि पर कब्जा कर रखा है तथा उतरदाता ने दो–तीन दफा तहसीलदार राजस्व नोहर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने कृषि भूमि की पैमाईश करने निवेदन किया था मगर आज तक गैरसायलान उतरदाता की काबिल 6 बीघा भूमि पडौसी न दबा रखी है। इसलिए प्रश्नगत भूमि के चिपते हुऐ खसरा नम्बरो की पैमाईश की रिपोर्ट ली जाकर गैरसायलान उतरदाता की कृषि भूमि के खसरा नम्बरो की पत्थरगढ़ी की जावे ताकि अदालत के सम्मुख असलियत आ सके तथा समस्त चिपते काश्तकारो की कृषि भूमि की वास्तविकता का पता चल सके तथा समस्त पिचकते काश्तकारो के साथ न्याय हो सके।अत जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर [illegible] रीज फरमाया जावे तथा गैरसायलान अप्रार्थीगण उत्तरदाता की कृषि भूमि रोही [illegible] हर के खाता सं. 403/415 के ख.न. 256/5 की 8.599[illegible] [illegible] सीलदार राजस्व नोहर से पैमाईश करवाकर पुख्ता पत्थर गढ़ी कायम की जाकर गैरसायल[illegible] उतरदाता की भूमि का कब्जा दिलवाने का आदेश फरमावे।

Rahul

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

पेरोकार राज ने का जवाब पेश किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थी ने निवेदन किया की साक्ष्य नही करवाना चाहते है बहस सुनी जावे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थी ने निवेदन किया की प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम भूमि की पत्थरगढ़ी की जावे तो हमे कोई ऐतराज नही है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 20/125 के खसरा नं. 256/3 की 5.4120 है० भूमि सायल व तरतीवी गैरसायलान संख्या 6 ता 7 की मुश्तरका खाता की भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070 2073 के खाता संख्या 403/415 के खसरा नं. 256/5 की कुल 8.5990 है० भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 4 की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायल/प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि की पैमाईश करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उसकी खातेदारी भूमि की नियमानुसार पैमाईश की जाकर फर्द मौका तैयार किया गया जाकर मौतबिरान के समक्ष पढ़ा जाकर बनाया गया था सायलान उसी के अनुसार अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है सायल का कथन सही प्रतीत होता है क्योंकि प्रार्थी द्वारा की गई पैमाईश की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिससे सायल के कथनों की पुष्टि होती है एवं अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया की प्रार्थीगण की भूमि के साथ साथ अप्रार्थीगण की भूमि की भी पत्थरगढ़ी की जावे।

कोई भी खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने के उपरान्त अपने हक हक हिस्सा की खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है उपरोक्त विवेचनानुसार सायल का प्रार्थना पत्र भूमि पैमाईश उपरान्त पत्थरगढ़ी का पाया जाता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को निर्देशित किया जाता है कि सायल व तरतीबी गैरसायालान की भूमि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 20/125 के खसरा नं. 256/3 की 5.4120 है० भूमि एवं अप्रार्थी स0 1 ता 4 की रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070 2073 के खाता संख्या 403/415 के खसरा नं. 256/5 की कुल 8.5990 है० भूमि की नियमानुसार सभी पक्षकारान की उपस्थित में पैमाईश टीम गठित की जाकर पैमाईश करवाई जाना सुनिश्चित करे पैमाईश उपरान्त नियमानुसार पत्थरगढ़ी करवाने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करे एवं निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यवाही राज्य सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित पैमाईश समय पर किया जाना सुनिश्चित करे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार नोहर को भिजवाया जावे। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे पत्रावली नम्बर से कम की जा[illegible]

निर्णय आज दिनांक 16/12/25 को [illegible] बसरेईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

क्रमांकः रीडर/2025/1964 दिनांकः– 16.12.25

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर।

विषय :– प्रार्थना पत्र संख्या 17/2024 अन्तर्गत राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 111 व 128 बाबत पैमाईश व पत्थरगढ़ी करने बाबत।

प्रार्थना–पत्र सं0 : 17 सन 2024
अनवान :–

1. राजकुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।

–प्रार्थी

**बनाम**

1. नत्थुराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर
2. भगवानाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर
3. मांगीलाल पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर
4. मानाराम पुत्र सुरजाराम, जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–असल गैरसायल

6. गिता पत्नी रघुवीर सिंह जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादर
7. विमला देवी पत्नी राजकुमार जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा

–तरतीवी गैरसायलान।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 17/2024 अनवानी राजकुमार बनाम नत्थुराम आदि में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि सायल की कृषि भूमि सायल व तरतीबी गैरसायालान की भूमि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 20/125 के खसरा नं. 256/3 की 5.4120 है० भूमि एवं अप्रार्थी स0 1 ता 4 की रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070 2073 के खाता संख्या 403/415 के खसरा नं. 256/5 की कुल 8.5990 है० भूमि की नियमानुसार सभी पक्षकारान की उपस्थित में पैमाईश टीम गठित की जाकर पैमाईश करवाई जाना सुनिश्चित करे पैमाईश उपरान्त नियमानुसार पत्थरगढ़ी करवाने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करे एवं निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यवाही राज्य सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित पैमाईश समय पर किया जाना सुनिश्चित करे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार नोहर को भिजवाया जावे। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested